सम्पर्क बनाकर वास्तविक सेवा करना चाहते हैं तथा जनता की शिकायतें सरकार तक पहुंचाते हैं, केवल इसीलिए दण्डित किये जा रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार को दूर कराना चाहते हैं। परन्तु कुछ गोलमाल किये जाने के कारण मुझे नहीं पता क्या हुआ है अधिकारी तंत्र ने अपने आपको इस विधेयक से बचा लिया है।

श्रीमान, संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन में विमति की टिप्पणियां भी हैं। सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारी तंत्र को विधेयक के कार्यक्षेत्र में लाए जाने के लिए बहुत से तर्क दिये गये हैं। परन्तु किसी प्रकार प्रवर समिति का बहुमत अर्थात जनता पार्टी के सदस्य सरकारी कर्मचारियों का इस विधेयक के कार्यक्षेत्र से अलग रखने में सफल रहे हैं।

श्रीमान. किसी भी संसद सदस्य तथा विधायक, जिसके पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है, को अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ती है तथा लोगों से शिकायतें प्राप्त करनी होती हैं। जनता की शिकायतों को दूर करने, सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जब तक सचिवालय को खुश नहीं किया जाता फाइल आगे नहीं चलती। इस प्रकार प्रशासन गलत नीति अपनाता है तथा शिकायतें दूर नहीं करने देता।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई। दो बजे म. प. तक के लिए।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

प्रधान मंत्री की हाल की सोवियत संघ तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैंने सोवियत संघ, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया के नेताओं के निमन्त्रण पर 10 जून से 21 जून तक इन देशों की यात्रा की। विदेश मंत्री, श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी इस यात्रा में मेरे साथ थे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना और महत्वपूर्ण सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर इन देशों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करना था। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि उन सभी राजधानियों में, जहां-जहां मैं गया, मैंने यह पाया कि बहुत से महत्वपूर्ण मामलों के विषय में हमारे विचारों में व्यापक रूप से समानता है। मैं सोवियत संघ की अपनी यात्रा की समाप्ति पर जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति तथा पोलैंड और चैकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया की अपनी यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रख रहा हूं।

2. सोवियत संघ में मैंने मास्को के अलावा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद तथा समरकंद और लेनिनग्राड के ऐतिहासिक नगर भी देखे। मास्को में राष्ट्रपति ब्रेझनेव तथा प्रधान

मंत्री कोसीगिन के साथ मेरी बातचीत बड़ी सौहार्द्र और सद्भावपूर्ण रही जिसमें भारत तथा सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ मैत्री का भाव परिलक्षित हुआ। हमारे बीच मुक्त और स्पष्ट रूप से विचारों का आदान-प्रदान हुआ तथा जिन निष्कर्षों पर हम पहुंचे, वे संयुक्त वक्तव्य में दिए गए हैं।

3. पोलैंड में मेरी बातचीत पोलिश यूनाइटेड वर्क्स पार्टी के प्रथम सचिव, श्री गौरिक तथा पोलैंड के राष्ट्रपति, प्रोफेसर जाब्लोंस्की से भी हुई। मैंने पोलैंड के प्रधान मंत्री, श्री जारोस्जेविक्ज से भी भेंट की जो गम्भीर बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनके साथ यद्यपि मेरी बातचीत संक्षिप्त हुई, परन्तु वह उपयोगी रही।

4. चैकोस्लोवाकिया में मैंने राष्ट्रपति हुसाक तथा प्रधान मंत्री स्ट्रोगल के साथ कई विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

5, यूगोस्लाविया में मैंने प्रधान मंत्री जूरानोविक के साथ द्विपक्षीय संबंधों और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बेलग्राद में विचार-विमर्श किया। मैंने राष्ट्रपति टीटो के साथ राजकीय वार्ता के लिए ब्रियोनी की यात्रा भी की जो बहुत ही सुखद रही। उनके साथ मैंने केवल द्विपक्षीय मामलों पर ही बातचीत नहीं की बल्कि सितम्बर. 1979 में हवाना में होने वाले गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के आगामी शिखर सम्मेलन से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया। मुझे राष्ट्रपति टीटो के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा प्रकट करने से बड़ी प्रसन्नता हुई।

6. प्रत्येक राजधानी, जिसकी मैंने यात्रा की, वहां मैंने जिन विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया उन्हें यहां दुहराने के बजाय मैं उन अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का, जहां तक हम सहमत हुए, सार-संक्षेप में बताना चाहूंगा। ये मामले हैं तनाव-शैथिल्य, निश्शस्त्रीकरण और ऐसे विषय जिनका संबंध हाल ही में स्वतन्त्र हुए और विकासशील देशों के आर्थिक विकास से है।

7. हम यूरोप में तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं परन्तु इस प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए इसका विस्तार इस भूमंडल के अन्य भागों तक भी किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया को पलटा नहीं जाना चाहिए। हमारा यह भी विश्वास है कि बिना निश्शस्त्रीकरण के तनाव शैथिल्य की यह प्रक्रिया सही तौर पर स्थायी नहीं हो सकती। विकास की तीव्र गति के लिए निश्शस्त्रीकरण भी अपरिहार्य है जिसकी कि इस संसार को आवश्यकता है, चाहे यह आवश्यकता राजनीतिक दृष्टि से हो अथवा आर्थिक दृष्टि से। इसलिए मानवता के समक्ष आज जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं वह है हथियारों की होड़ का खत्म किया जाना तथा इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का कारगर ढंग से क्रियान्वयन और इस प्रकार से मुक्त किये गए धन तथा संसाधनों को विकासशील देशों के विकास के लिए अधिकाधिक लगाना।

8. यद्यपि विगत तीन दशकों में बहुत से उपनिवेशों ने राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली है परन्तु वास्तविकता यह है कि आर्थिक रूप से और कई अन्य बातों में वे अभी भी अपने भूतपूर्व साम्राज्यवादी शासकों पर निर्भर हैं। उनमें से बहुत से उपनिवेशों को औपनिवेशिक युग से समस्यायें और झगड़े विरासत में मिले हैं। हमारा यह विश्वास है कि इन देशों की राजनैतिक

स्वाधीनता तब तक सुदृढ़ नहीं की जा सकती जब तक कि वे आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वाधीन न हो जाएं। इस आर्थिक स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए हमें न्यायोचित एवं प्रजातांत्रिक आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के पुनर्गठन की अत्यावश्यकता को स्वीकार करना चाहिए।

9. जिन देशों की मैंने यात्रा की, उन सभी देशों में मैंने अपने मेजबानों के साथ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की समीक्षा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर चलना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राजनैतिक एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था चुनने का अधिकार है। किसी भी देश को अपने पड़ोसी या किसी दूरस्थ देश के साथ यदि कुछ समस्यायें हैं तो उनका समाधान शान्तिपूर्ण तरीकों से खोजा जाना चाहिए। राष्ट्रों को एक दूसरे की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करना सीखना चाहिए। उन्हें किसी भी आधार पर एकत्र करके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने शान्तिपूर्ण तथा द्विपक्षीय रूप से सुलझाने चाहिएं। हमने दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में निरन्तर बने हुए तनावों पर विशेष रूप से चिन्ता प्रकट की।

10. मैंने जिन देशों की यात्रा की वे सभी देश द्विपक्षीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत के साथ अपने विद्यमान आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग को और सुदृढ़ करने को उत्सुक हैं और इस प्रकार के सहयोग को प्रशस्त बनाने के नए उपाय खोजना चाहते हैं। हम अपनी ओर से ऐसा करने को तैयार हैं।

11. स्वदेश लौटते समय मैं रास्ते में कुछ समय के लिए फ्रैंकफर्ट में रुका जिसके दौरान मैंने जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर हेर श्मीत से एक घंटे तक बातचीत की और जर्मन चैम्बर आफ कामर्स एवं इन्डस्ट्री और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी औपचारिक रूप से भेंट की जो भारत में अथवा विदेशों में संयुक्त उद्यमों में सहयोग संवर्धित करने को उत्सुक हैं। मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस थोड़े से समय में जर्मन संघीय गणराज्य के चांसलर के साथ कुछेक महत्वपूर्ण मसलों पर मेरी जो बातचीत हो सकी उसमें एक व्यापक समझौते की भावना परिलक्षित हुई। व्यापारिक क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मेरी बातचीत के दौरान मुझे यह मालूम हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के प्रति उनका रवैया सार्थक है और वे इस उद्देश्य के लिए भारत की यात्रा करने को उत्सुक हैं।

12. अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज विश्व-शांति, तनाव-शैथिल्य और स्थिरता के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति को एक नीति के रूप में जितनी अच्छी तरह समझा जाता है और उसकी सराहना की जाती है उतनी पहले कभी नहीं थी। मेरी यात्रा से इन देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं और आपसी हित के और अधिक सहयोग के नये मार्ग प्रशस्त हुए हैं।

13. मैं राष्ट्रपति ब्रेझनेव एवं प्रधान मंत्री कोसीगिन, प्रथम सचिव गैरिक तथा प्रधान मंत्री जारोजेविक, राष्ट्रपति हुसाक एवं प्रधान मंत्री स्ट्रोगल, राष्ट्रपति टीटो एव प्रधान मंत्री जुरानोविक को हमारे प्रवास के दौरान अपने-अपने देश में उन्होंने जो हमारा हार्दिक स्वागत-सत्कार किया

उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चांसलर श्मीत का भी आभारी हूं कि उन्होंने फ्रैंकफर्ट में मुझसे मिलने के लिए समय निकाला और उनके साथ उपयोगी विचार-विमर्श हुआ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैं इस सत्र में ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा की मांग करता हूं। मुझे उम्मीद है आप इस वक्तव्य पर चर्चा के लिए समय निकालेंगे।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया (नन्दयाल) : इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका मैंने सभा में वचन दे दिया है।

लोकपाल विधेयक-जारी

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : जैसा कि मैं मध्याह्न भोजन से पहले बता रहा था कि लोकपाल विधेयक सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार हटाने के लक्ष्य के विपरीत है। यह विधेयक जिस रूप में आज है उसमे कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : यह गड़बड़ वाला है।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : विधेयक को विकृत रूप में लाया गया है और इस समय कुछ भी नहीं किया जा सकता; वे इस प्रकार के विधेयक से सत्ता के उच्च केन्द्रों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकेंगे। इस विधेयक के 'निर्माण' में किया गया पूरा अभ्यास मैं जानबूझकर निर्माण शब्द का उपयोग कर रहा हूं —यह भूतलक्षी प्रभाव से बदला लेने के लिए किया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पिछले पांच वर्षों में किये गये अपराधों को अपनी परिधि में लेना है। इससे साफ प्रकट होता है कि जनता सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों से बदले की भावना से किस भद्दे ढंग से कार्य कर रही है। यह जनता पार्टी की बदले की भावना का चमकता हुआ उदाहरण है।

दूसरे, इस विधेयक में संसद सदस्यों को सम्मिलित किया गया है तथा उन्हें कार्यकारी कार्यों के प्रभारी सार्वजनिक कर्मचारी माना गया है.....

श्री हरि विष्णु कामत : सार्वजनिक व्यक्ति।

श्री पी० वेंकटा सुब्बया : और उनका कदाचार दण्ड का भागी है। मैं जानना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के पास कौनसी कार्यकारी शक्ति है। उनका एकमात्र कार्य यह है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्पर्क बनाये रखें तथा लोगों की शिकायतें सरकार तक पहुंचायें। यदि 'कदाचार' शब्द का अर्थ लगायें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि कोई संसद सदस्य किसी मित्र के लिए रेल में सीट के आरक्षण के लिए आरक्षण कार्यालय को पत्र लिखता है तो वह भी कदाचार में आ सकता है। इससे संसद सदस्यों के लिये अपना कार्य करना इतना असम्भव हो जाता है कि यह उपहासास्पद लगता है।

किसी भी सरकार में यदि वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो कठिनाई यही है कि यदि अधिकारी तंत्र तदानुरूप न हो तथा वह सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्ध न